

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- खिन्वाडी

प्रकरण संख्या:- 310/25

दिनांक:- 2-10-2025

उनवान

श्री राजनी पुगी
श्री राज कल्या

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दरसामद, पटवारी हल्का खिन्वाडी भू. अ. नि. आरलका कला एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम बाहरीकला प0 ह0 खिन्वाडी की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 40 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	<u>कैथ का भाग</u>	<u>स्टे. ल. कैथ भाग</u> <u>कैथ का भाग</u> <u>पटवारी शाखा</u> <u>सवाई माधोपुर</u>	<u>स्टे. ल. कैथ</u> <u>कैथ का भाग</u> <u>शाखा मण्डल माधोपुर</u> <u>(सं. क्र. 01/11)</u>

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर फालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री राजनी पुगी जिला खिन्वाडी ।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)

